न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 101 अ-20(3) 2023-24

आदेश

(दिनांक 05 नवम्बर 2024 को पारित)

-00-

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 08/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम कंडारी तहसील बडोद स्थित की कुल भूमि **21.950** हेक्टेयर भूमि में से **18.44** हेक्टेयर भूमि की मांग बंधा कॉल ब्लाक मे उन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम कंडारी की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	९८	14.080	11.10
2	९६	7.870	7.34
	कुल किता 2	21.950 हेक्टेयर	**18.44** हेक्टेयर

2 आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार बीजानगरी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी की गई। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/री/2024/134 बीजानगरी दिनांक 04.04.2024 से संबंधित विभाग को पत्र जारी कर आपत्ति अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग आगर मालवा द्वारा पत्र क्रमांक 91/तक/2024-25 आगर दिनांक 05.04.2024 , म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लिमि. जयसिंहपुरा का पत्र क्रमांक क्प. जयसिहपुरा / कार्य /2023-24/39 दिनांक 15.04.2024 से अभिमत में अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है।अनुविभागीय अधिकारी (वन) एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कोई आपत्ति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत बीजानगरी तहसील बडोद जिला आगर मालवा द्वारा अपने ठहराव / प्रस्ताव दिनांक 29.08.2024 में ग्राम कंडारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकबा 7.87 हे. में से 7.34 हे. व सर्वे क्रमांक 98 रकबा 14.08 हे. में से 11.10 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु देने में असहमति प्रस्तुत की गयी। पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि ग्राम की मिसल में निस्तार चरनोई का कुल रकबा 69.38 है, दर्ज है। आवेदित भूमि यदि आवंटित की जाती है तो चरनोई का शेष कुल रकबा 69.38 है. बचेगा। यदि आवेदित भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो ग्राम की चरनोई भूमि का रकबा प्रभावित नहीं होगा। उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है। कुल प्रस्तावित रकबा 18.44 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम कंडारी की सिंचित भूमि 11,20,000/- (ग्यारह लाख बीस हजार) प्रति हे के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 3,30,44,480/- (तीन करोड तीस लाख चौवालिस हजार चार सौ अस्सी रूपये) होना लेख किया गया है। प्रकरण में नायब तहसीलदार बीजानगरी तहसील बडौद के द्वारा ग्राम कंडारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकबा 7.87 हे. में से 7.34 हे. व सर्वे क्रमांक 98 रकबा 14.08 हे. में से 11.10 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी (रा.) आगर- बड़ौद जिला आगर मालवा को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । जिसमें ग्राम कंडारी तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकबा 7.87 हे. में से 7.34 हे. व सर्वे क्रमांक 98 रकबा 14.08 हे. में से 11.10 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 21.950 हे. मे से 18.44 हेक्टेयर भूमि को बंधा कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

4/ ग्राम पंचायत बीजानगरी द्वारा उनके पत्र दिनांक 29.08.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सके अतः ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम कंडारी तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्र. 96 रकबा 7.87 हे. में से 7.34 हे. व सर्वे क्रमांक 98 रकबा 14.08 हे. में से 11.10 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 21.950 हे. मे से 18.44 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021अनुसार ग्राम कंडारी तहसील बडौद कुल किता 02 कुल रकबा 21.950 हे. मे से 18.44 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 3,30,44,480/- (तीन करोड तीस लाख चवालिस हजार चार सौ अस्सी रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी ।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा ।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

04/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 101/अ-20(3)/2023-24

क्रमांक रीडर/2024/ 392

आगर मालवा, दिनांक 04/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें।

04/11/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598694895 81R54ZD8S1RMH0	96/1 (S)		7.3400 हेक्टेयर	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0101/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 04/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

			रु.0.00							

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598694873 81R2CKD8S271H0	98/1 (S)		11.1000 हेक्टेयर	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0101/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 04/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

रु.0.00

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट